संख्या–159/XVI-2/09/7(22)/09

प्रेषक,

जी0एस0 पाण्डे,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग
प्रेमनगर, देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 26 अप्रैल मई,2009

विषयः–वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर की योजनाओं में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–131/रेशम/तक0अनु0/बजट/2009–10 दिनांक 15 अप्रैल,2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31(टी0एस0पी0) के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर की योजनाओं में लेखानुदान के माध्यम से **प्राविधानित रू0–218.00 हजार (रू0 दो लाख अटठारह हजार मात्र) की सम्पूर्ण धनराशि संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों के किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–205/XXVII(1)/2009, दिनांक–25 मार्च,2009 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम)आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

...2/–

7– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

8– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

9– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि, अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जा रहा है।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान के अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–00–के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित योजनाओं एवं उनकी सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–70(P)/XXVII-4/2009,दिनांक–22मई,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या–159/XVI-2/08/7(22)/09,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–159/XVI-2/09/7(22)/2009 दिनांकः 26 अप्रैल,2009 का संलग्नक अनुदान संख्या–31 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर की योजनाओं में लेखानुदान के माध्यम से रेशम विकास विभाग हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का मदवार विवरण।

(धनराशि हजार रूपये में)

क0 सं0	अनुदान सं0–31 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म– 00–आयोजनागत 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–00–	लेखानुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि
1	**09–सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी**		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	33	33
	योगः–09	**33**	**33**
2	**10–जैविक रेशम विकास**		
	02–मजदूरी	7	7
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	7	7
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	7	7
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	13	13
	योगः–10	**34**	**34**
3	**11–वृक्षारोपण विकास योजना**		
	02–मजदूरी	5	5
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5	5
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	23	23
	योगः–11	**33**	**33**
4	**12–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना**		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	67	67
	योगः–12	**67**	**67**
5	**17–रेशम वस्त्र विकास योजना**		
	सहायक अनुदान / अंशदान/राज सहायता	17	17
	योगः–17	**17**	**17**
6	**18–रेशम प्रशिक्षण योजना**		
	08–कार्यालय व्यय	7	7
	42–अन्य व्यय	17	17
	44–प्रशिक्षण व्यय	10	10
	योगः–18	**34**	**34**
	पूर्णयोग :–	**218**	**218**

(रू0 दो लाख अटठारह हजार मात्र)

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर सचिव।

Budget 2009-10